झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प 2018 26/02/2014

विषयः— **राज्य सरकार के अधीन सचिवालय एवं सलग्न कार्यालयों में लागू साप्ताहिक कार्यदिवस प्रणाली का विस्तारण एवं जिला, अनुमंडल, प्रखंड स्तर के सभी कार्यालयों में AEBAS - Adhar Enabled Biometric Attendence System अधिष्ठापित करने के संबंध में।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के संकल्प संख्या 11317, दिनांक 25.11.2013 द्वारा राज्य के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में प्रायोगिक तौर पर 01 जनवरी 2014 से 28 फरवरी 2014 तक दो माह के लिए पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू किया गया था।

मंत्रिपरिषद के द्वारा उक्त प्रणाली को इस शर्त्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि पाँच दिवसीय कार्य प्रणाली की कार्यसंस्कृति की समीक्षा कर इसे विस्तारित कर दिया जायेगा।

2. राज्य में लागू पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली की समीक्षा की गयी एवं इस संदर्भ में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में लागू Biometric Attendance को आधार मानते हुए डाटा एकत्र किये गये। उक्त उपस्थिति की समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि पाँच दिवसीय कार्य प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित 08 कार्य घंटे के विरूद्ध सरकारी कर्मियों का Average Working Hours 8.01.57 है।

इस प्रकार पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली एवं Biometric Attendance प्रणाली की व्यवस्था के लागू किये जाने से सरकारी कर्मियों की कार्य अवधि में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही सरकार की आधारभूत संरचना यथा विद्युत, दूरभाष, ईंधन, आदि के व्यय में कमी आयी है और लगातार दो अवकाश के उपभोग के फलस्वरूप सरकारी कर्मी अपेक्षाकृत अधिक उर्जा के साथ कार्यरत रहें हैं।

3. राज्य के जिला/अनुमंडल/प्रखंड के सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मियों की कार्य–संस्कृति में अपेक्षित सुधार हेतु उक्त कार्यालयों में भी AEBAS - Adhar Enabled Biometric Attendence System के अधिष्ठापन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

4. उक्त आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि –

(क) संकल्प संख्या 11317, दिनांक 25.11.2013, जिसके द्वारा राज्य के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में प्रायोगिक तौर पर 01 जनवरी, 2014 से 28 फरवरी, 2014 तक दो माह के लिए पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू किया गया था, को अगले आदेश तक विस्तारित किया जाता है।

कार्यदिवस में कार्यालय अवधि 10 बजे पूर्वाह्न से सायं 6 बजे तक होगी। इस अवधि में मध्याह्न विश्रान्ति काल 1.30 बजे से 2.00 बजे अपराह्न तक रहेगा।

(ख) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में आकस्मिक अवकाशों की संख्या 16 दिनों के स्थान पर 12 दिनों की होगी।

(ग) जिला, अनुमण्डल, एवं प्रखण्ड स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में AEBAS - Adhar Enabled Biometric Attendence System का अधिष्ठापन किया जाय, जो 1ली अप्रील 2014 से क्रियाशील होगी। इसके लिए आधारभूत संरचना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।